न्यायालय सहायक कलक्टर, आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी – श्री कनिष्क कटारिया, आई.ए.एस.

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
श्री निर्विकार अग्रवाल पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार अग्रवाल, जाति अग्रवाल, निवासी राजयोगी कॉलोनी, दानवाव व अन्य – 3		श्री बहादुर सिंह पुत्र श्री सोनसिंह, जाति राजपूत, निवासी आवंली, मुदरला, तहसील देलदर व अन्य – 2

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 104/2021

दिनांक19.10.2022

आदेश

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि मौजा ग्राम मुदरला, पटवार हल्का आमथला में प्रार्थी सं. 1 व उसकी पत्नि के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की खसरा नंबर 73/2 कुल क्षेत्रफल 0.3794 हैक्टेयर कृषि भूमि एवं प्रार्थी संख्या 02 के खातेदारी व कब्जे काश्त की खसरा नंबर 823/73 कुल क्षेत्रफल 0.1897 हैक्टेयर कृषि भूमि एवं प्रार्थी संख्या 03 के खातेदारी व कब्जे काश्त की खसरा नंबर 357/2, 358/2, 359/2 व 75/2 कुल क्षेत्रफल 0.6954 हैक्टेयर कृषि भूमि तथा प्रार्थी सख्या 01 व उसके अन्य परिवारजन के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की खसरा नंबर 353, 356, 76 कुल क्षेत्रफल 2.1623 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। कि पद संख्या 01 में विर्णत उपरोक्त संपूर्ण कृषि भूमि मौके पर भौगोलिक स्थिति अनुसार दो अलग–अलग भागों में टुकडो में विभक्त है। मुख्य मार्ग से लगते हुए आगे की ओर अप्रार्थी संख्या 01 की खसरा संख्या 77/1 के सामने अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की संयुक्त खातेदारी की खसरा संख्या 342, 354, 355, 374/2 एवं 72 की कृषि भूमि स्थित है, जिनके पीछे प्रार्थी संख्या 01 से 04 की कृषि भूमियां स्थित है, उनके बीच में से प्रार्थीगण की खसरा संख्या 73/2 व 823/73 व 357/2, 358/2, 359/2 व 75/2 में कृषि कार्य करने हेतु व आने जाने हेतु प्रार्थीगण के पास कोई मार्ग उपलब्ध नही होने से यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। यह कि पद संख्या 01 में वर्णित खसरा नम्बरान की कृषि भूमि में आने जाने हेतु प्रार्थीगण के पास अप्रार्थी संख्या 01 के खातेदारी की खसरा संख्या 77/1 एवं अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की संयुक्त खातेदारी की खसरा संख्या 342, 354, 355, 374/2 एवं 72 की कृषि भूमि के मध्य में स्थित रास्ता, जो मुख्य मार्ग डामर सड़क पर मिलता है, के अलावा अन्य कोई निकटतम सुलभ मार्ग उपलब्ध नही है। यह कि प्रार्थीगण को उनके निर्बाध व निरन्तर आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 01 के खातेदारी की खसरा संख्या 77/1 अथवा अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की संयुक्त खातेदारी की खसरा संख्या 72 की कृषि भूमि मे से न्युनतम 30 फुट का रास्ता प्रार्थीगण को दिलाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

हमने प्रार्थना पत्र को दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करे। नोटिस तामिल शुदा प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किये गये। अप्रार्थी सं. 01 से 02 जवाब प्रस्तुत कर कथन किया गया कि अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की कृषिभूमि के पीछे की ओर प्रार्थीगण की तथाकथित कृषिभूमि नही है बल्कि प्रार्थीगण की भूमि अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की भूमि के आगे है जो कि पक्षकारान के रहवासी गांव आवली, मुदरला से आने वाले मुख्य सी.सी.रोड़ की ओर हैं अर्थात गांव से आने वाला जो कदीमी रास्ता है उस रास्ते में पहले प्रार्थीगण की भूमि आती हैं और अंतिम सिरे पर अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की भूमि आती है और अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की भूमि के अंतिम सिरे उत्तरी कोने से पिण्ड़वाड़ा तहसील की सरहद प्रारम्भ होकर अन्य लोगो के खेत की भूमि जो कि पिण्ड़वाड़ा तहसील क्षेत्र में आती है वो स्थित है जिस अनुसार गांव से आने वाले रास्ते के प्रारम्भ में प्रार्थीगण के खेत की भूमि ही आती है अतः कृषि कार्य करने हेतु व आने जाने हेतु प्रार्थीगण के पास कोई मार्ग उपलब्ध नहीं होने का कथन सर्वथा मिथ्या है। कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि में आवागमन हेतु एवं कृषि यंत्र लाने ले जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 के खातेदारी की खसरा संख्या 77/1 एवं अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की संयुक्त खातेदारी की खसरा संख्या 342, 354, 355, 374/2 एवं 72 की कृषिभूमि के मध्य में 12 फीट चौड़ा कोई कदीमी रास्ता स्थित नहीं है। वास्तव में प्रार्थीगण जिस कदीमी रास्ते का वर्णन उक्त प्रार्थना पत्र में कर रहे है व अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की भूमि से प्रारम्भ नही होती है बल्कि वो कदीमी रास्ता गाव आवली, मुदरला से प्रारम्भ होकर आता है कि प्रार्थीगण के पास पहले से वैकिल्पक, सुलभ व अपने अपने पास से अपनी अपनी कृषि भूमि तक आने जाने हेतु निकटतम मार्ग उपलब्ध है जिस कारण से प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। तहसीलदार देलदर की फर्द मौका कमिश्नर रिपोर्ट में अंकन है कि प्रार्थीगण के खेतो में आने – जाने हेतु मुदरला से आवली फली होते हुए 10 फीट चौड़ाई में मौके पर रास्ता उपलब्ध है व प्रार्थीगण मात्र अपनी सुविधा के लिए अप्रार्थीगण के उक्त कृषि भूमि ख.न. 77/1 में से रास्ता चाह रहे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanishak Kataria
Date: 2022.10.27 11:45:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आबूपर्वत (सिरोही)

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन व मनन किया। यह प्रकरण प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अनुसार कि प्रार्थीगण को उनके निर्बाध व निरन्तर आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 01 के खातेदारी की खसरा संख्या 77/1 अथवा अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की संयुक्त खातेदारी की खसरा संख्या 72 की कृषि भूमि मे से न्युनतम 30 फुट का रास्ता प्रार्थीगण को दिलाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

धारा 251 ए के अंतर्गत 2 बिन्दु मुख्यतः विचारणीय है –

प्रार्थीगण को रास्ते की परम आवश्यकता हो केवल सुविधा के लिये नही एवं अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नही है। तहसीलदार देलदर की फर्द मौका कमीश्नर रिपोर्ट में स्पष्ट है कि प्रार्थीगणों के खेतों में आने–जाने हेतु मुदरला से आवली फली होते हुए 10 फीट चौड़ाई में मौके पर रास्ता उपलब्ध है, प्रार्थीगण मात्र अपनी सुविधा के लिए अप्रार्थीगण के उक्त कृषि भूमि ख.न. 77/1 में से रास्ता चाह रहें है। अतः प्रार्थीगण सरलता/सुगमता हेतु धारा 251 ए के अंतर्गत रास्ता प्राप्त नही कर सकते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम परिपोषनीय नही होने से खारिज किया जाता है। अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

19.10.22

(कनिष्क कटारिया) I.A.S.
सहायक कलक्टर
आबूपर्वत

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanishak Kataria
Date: 2022.10.27 11:45:54 IST
Reason: SelfAttested